ग्राम पंचायत संघनई, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.13 से 31.03.16
भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत संघनई, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

1	श्रीमति रेखा देवी	1-4-2013 से 22-1-2016
2	श्री सन्दीप शर्मा	22-01-2016 से लगातार

सचिव:-

1	श्रीमती रंजना कुमारी	1-4-2013 से 31-3-2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत संघनई के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	11	अनुदानों का उपयोग न करना	26.25
2	12	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	3.60
3	13	IWMP अनुदान से क्रय किये गये पौधों तथा उन्हें लगवाने पर व्यय की गयी राशि में गम्भीर अनियमिताएं	2.30
4	14	MGNREGA से गलत/अनियमित भुगतान	0.90
5	15	मनरेगा कार्य के लिए अधिक भुगतान	0.37
6	16	निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि रखना	-
7	17	अभिलेख प्रस्तुत न करना	12.86
8	18	कार्य स्थल पर एकत्रित की गयी मदों को निर्माण कार्य में प्रयोग न करना	4.25
9	19	मूल्यांकन के बिना भुगतान करना	9.03
10	21	पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना	9.16

भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत संघनई, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि

4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22/2/2017 से 27/2/2017 तक खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	3/2014	10/2013
2014-15	1/2015	3/2015
2015-16	2/2016	6/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत संघनई, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि0प्र0) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 48/2017 दिनांक 27-2-2017 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत संघनई द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत संघनई के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	60949.98	31167	92116.98	9129	82987.98
2014-15	82987.98	66874	149861.98	20275	129586.98
2015-16	129586.98	52997	182583.98	28459	154124.98

(2) अनुदान:- ग्राम पंचायत संघनई के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	582457	4128562	4711019	2708083.7	2002935.30
2014-15	2002935.30	6550266	8553201.3	6449728	2103473.30
2015-16	2103473.30	3294407	5397880.3	2815498.98	2625464.32

5 बैंक समाधान विवरणी:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत संघनई द्वारा हिमाचल परदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(3)

व 10(1) की अनुपालना मे मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया था जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों में ₹705593.48 का अंतर था। अत: पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान कर के अनुपालना से इस विभाग को अवगत करे।

1 रोकड़ वही खाता-क पैरा 4(1) का अन्तशेष ₹154124.98

2 रोकड़ वही खाता-ख पैरा 4(2) का अन्तशेष ₹2625464.32

योग ₹2779589.30

<u>अन्तशेष का विवरण:-</u> दिनांक 31-03-2016 को अंत शेष का विवरण निम्नानुसार था।

क्र. संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि**
1	के.सी.सी.बी. गगरेट	20037063221	2057047.90
2	के.सी.सी.बी. गगरेट	20037063527	2553
3	पी.एन.बी. गगरेट	3986000100056890	1551.92
4	HDFC गगरेट	50100032574224	10103
		<u>Cash in hand</u>	
		GENERAL CASH BOOK	2740
		<u>TOTAL</u>	2073995.82

अंतर ₹2779589.30- ₹2073995.82 =₹705593.48

6 रोकड़ वही का रख रखाव नियमानुसार न करना:-

ग्राम पंचायत की रोकड़ वही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ वही का रख रखाव पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार नहीं किया गया है तथा रोकड़ वही में प्रत्येक दिन/माह का अथ शेष व अंतिम शेष की गणना नहीं की गयी। रोकड़ वही में बहुत ज्यादा cutting तथा overwriting की गयी है। प्रधान द्वारा भी अधिकतर मामलों में रोकड़ वही का सत्यापन नहीं किया गया है। अत: रोकड़ वही का रख रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 मनरेगा रोकड़ वही का रख रखाव उचित प्रकार से न करना:-

ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की सूचनाओ/प्रोफोर्मो के अनुसार मनरेगा का व्यय FTO द्वारा चयनित मास 6/2015 में ₹310108 किया गया दर्शाया गया है परन्तु मनरेगा रोकड़ बही का रख रखाव उचित प्रकार से न करने के कारण व्यय के भुगतान वाउचर की जाँच नहीं की जा सकी। योजना में स्वीकृत अनुदान की राशियों व व्यय की राशियों को खंड विकास अधिकारी के कार्यालय द्वारा online भेजने के कारण स्वीकृत राशियों व व्यय की राशियों को दिनांक उचित प्रकार से दर्ज नहीं किया गया है। रोकड़ वही का रख रखाव उचित प्रकार से न करने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा वास्तव में मास 6/2015 में कितनी राशि का भुगतान किया गया का पूरा विवरण/ब्यौरा पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं था और न ही मनरेगा रोकड़ वही प्रधान द्वारा सत्यापित की गयी है। अत: मनरेगा में अंकेक्षण अवधि में प्राप्त कुल राशि तथा भुगतान का पूर्ण विवरण रोकड़ वही में उचित प्रकार से दर्ज करके अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 रसीदें जारी न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 5 (1) के अनुसार" जब ग्राम पंचायत द्वारा धन प्राप्त किया जाता है तो ग्राम पंचायत का सचिव, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (साधारण) नियम, 1997 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "साधारण नियम "कहा गया है) से सलंगन प्ररूप-3 पर अमिट स्याही से सम्यक रूप से हस्ताक्षरित रसीद धन संदत्त करने वाले व्यक्ति/ निधिकरण, अभिकरण को जारी करेगा और इसका प्रतिपरण कार्यालय में रखा जायेगा परन्तु ग्राम पंचायत ने प्राप्त की गयी राशि की कोई भी रसीद जारी नहीं की गई जोकि अनियमित था। उक्त के अभाव में चयनित मासों में प्राप्त आय की जाँच न की जा सकी। अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये व भविष्य में नियमानुसार रसीदें जारी की जानी सुनिश्चित की जाये।

9 निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

10 पंचायत राजस्व ₹1.93 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत सचिव संघनई द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2016 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹193050 वसूली हेतु शेष थी।

1 गृहकर:

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	52050	47000	99050	0	99050
2014-15	99050	47000	146050	0	146050
2015-16	146050	47000	193050	0	193050

(2) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए व उपरोक्त गृहकर की वसूली न करने के कारणो को स्पष्ट करते हुये राशि की वसूली अविलम्ब की जाये।

11 अनुदान ₹26.25 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹2625464 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा।

अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

12 प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹3.60 लाख का अधिक व्यय

सचिव ग्राम पंचायत संघनई द्वारा उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो तथा वितीय स्थिती के अनुसार SFC,SDP,VKVNY,MPLAD,IWMP में दिनांक 31-03-2016 को निम्नानुसार ₹360465 ऋणात्मक दर्शाई गयी है जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन SFC,SDP,VKVNY,MPLAD,IWMP में अथवा किसी अन्य योजना से SFC,SDP,VKVNY,MPLAD,IWMP का भुगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अवगत करवाएं।

1	SFC	7733
2	SDP	19823
3	VKVNY	125640
4	MPLAD	199822
5	IWMP	7447
	योग	**₹360465**

13 IWMP अनुदान से क्रय किये गये पौधों तथा उन्हें लगवाने पर व्यय ₹2.30 लाख बारे गंभीर अनियमिताएं: –

वाउचर संख्या	**मास**	**राशि (₹)**
5	**10/2013**	**210400**
6	**10/2013**	**19950**
	योग	**230350**

वाउचर संख्या 5 मास 10/2013 के द्वारा M/S SHIV SHANKAR NURSERY NANGAL ROAD JALSRAN DISTRICT UNA (H . P .) से बिल संख्या 0142 दिनांक 19-8-2013 के द्वारा निम्नानुसार पौधे क्रय किए गए।

बा. सं.	**मास**	**विवरण**	**मात्रा**	**दर**	**राशि**
5	10/2013	आम	2200	22	48400
		संतरा	2000	12	24000
		नींबू	2000	12	24000
		गलगल	1000	12	12000
		सागवान	2000	25	50000
		पापुलर	2000	20	40000
		कचनार	300	20	6000
		ढुलाई			6000
6	10/2013	मस्टरोल	-	-	19950
				कुल योग	**210400**

तदोपरान्त वाउचर संख्या 6 मास 10/2013 के द्वारा उपरोक्त पौधों को अवधि 1-10-2013 से 12-10-2013 तक 1.5 मास के उपरान्त लगवाने के लिए मस्ट्रोल संख्या 16991के द्वारा ₹19,950/- का मजदूरी के रूप में भुगतान किया गया। भुगतानों में निम्नानुसार अनियमित्ताएँ पाई गई :-

(1) उपरोक्त पौधे जिन लाभार्थियों को बांटे गए उनका अभिलेख ग्राम पंचायत में उपलब्ध न था।

(2) सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार "निजी भूमि पर अन्य लागत सघन कृषि प्रणाली कार्यकलापों जैसे मत्सय पालन, बागबानी, कृषि वानिकी, पशु पालन इत्यादि जसे आजीविका सम्बन्धित कार्य कलाप जिससे सम्बन्धित किसानो को सीधा फ़ायदा होता है तो उसके लिए सामान्य किसानों का अंशदान 20% तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का अंशदान 10% के बराबर होगा। परन्तु पंचायत ने लाभार्थियों से कोई भी अंशदान प्राप्त नहीं किया है। पंचायत द्वारा इनको वितरित करने के अभिलेखों का रख रखाव न किये जाने के कारण अंकेक्षण द्वारा 20% की दर से अंशदान की गणना ₹42080 (210400 x 20%) की गई है जिसकी अविलम्ब वसूलीं की जाए। अन्य मासों में किये गए भुगतानों के beneficiary share की गणना विभागीय स्तर पर करके राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

(3) अवधि 1-10- 2013 से 12-10-2013 तक मस्ट्रोल संख्या 16991 के द्वारा मजदूर लगाकर पौधारोपण किया गया जो कि तर्कसंगत न है क्योंकि पौधों का क्रय दिनांक 19-8-2013 को लगभग 1.5 मास पहले किया गया था और ज़्यादातर पौधों को बरसात में लगाया जाता है।

(4) क्रय बागबानी विभाग हिमाचल प्रदेश से किया जाना अपेक्षित था। परन्तु पौधों का क्रय बिना निविदाएँ प्राप्त कर किया गया जिसके अभाव में दरों के निम्न होने की पुष्टि न हो सकी।

उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है जिसे विकास खण्ड के उच्चाधिकारियो के ध्यान में जाँच उचित कार्यवाही/जाँच हेतु लाया जाता है।

14 MGNREGA से ₹0.90 लाख का गलत/अनियमित भुगतान

निर्माण कार्य का नाम:- निर्माण रास्ता लिंक रोड से रमेश के घर तक

मापन पुस्तिका संख्या :- 4642

वाउचर संख्या	मास	राशि	टिप्पणी
39	10/2013	45000	90 ट्राली मिट्टी
40	10/2013	45000	90 ट्राली मिट्टी
41	10/2013	45000	90 ट्राली मिट्टी
	योग	**135000**	

रोकड़ वही की जाँच करने पर पाया गया कि उपरोक्त निर्माण कार्य के लिए भुगतान वाउचर संख्या 39, 40, 41 मास 10/2013 के द्वारा 270 ट्राली मिटटी ₹500 प्रति ट्राली की दर से स्थल पर डलवाई गई तथा चेक संख्या क्रमशः 804821, 804822, 804823 के माध्यम से ₹1,35,500 भुगतान किया गया है। परन्तु मापन पुस्तिका 4642 की जाँच करने पाया गया कि cutting & filling की मद निम्नानुसार निष्पादित की गई है।

M.B.No./PageNo.	**Cutting & filling की मात्रा**
4642/53	126.9 m^3
4642/62	43.43 m^3
4642/65	46.08 m^3
4642/66	37.33 m^3
योग	**253.74 घन मीटर अर्थात 8952 घन फुट**

मापन पुस्तिका में की गई "filling" की मद की रिकॉर्ड प्रविष्टि के अनुसार 8952 घन फुट मात्रा ही स्थल पर डाली गई जो कि 90 ट्रालियां ही बनती हैं जबकि स्थल पर 270 ट्रालियां मिटटी डलवाने का भुगतान दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त मनरेगा परिसम्पत्तियों (ASSETS) के रजिस्टर

में 180 ट्रालियां दर्शाई गई है। जबकि वास्तव में 90 ट्रालियां (253.74 घन मीटर) ही मापन पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों के अनुसार देय बनती हैं। इस प्रकार 180 (270-90) ट्राली के लिए ₹500 प्रति ट्राली की दर से ₹90,000 का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाये।

15 मनरेगा कार्य के लिए ₹0.37 लाख का अधिक भुगतान

निर्माण कार्य का नाम :--- निर्माण रास्ता लिंक रोड से सीतो देवी के घर तक

मापन पुस्तिका संख्या :--- 4642

भुगतान संख्या 42 मास 10/2013 की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण रास्ता लिंक रोड से सीतो देवी के घर तक के लिए 90 ट्राली मिट्टी स्थल पर डालने के लिए ₹500 प्रति ट्राली की दर से ₹90000 का भुगतान चेक के माध्यम से किया गया। परन्तु मापन पुस्तिका संख्या 4642 पृष्ठ संख्या 54 पर की गई प्रबिष्टि के अनुसार cutting & filling की मद 45.80 घन मी. अर्थात 1616 घन फुट ही निष्पादित की गयी है तथा प्रविष्टि के अनुसार 17 ट्राली का भुगतान ही देय बनता था। इस प्रकार 73 (90-17) ट्राली ₹500 प्रति ट्राली की दर से ₹36500 का दुर्विनियोजंन किया गया है जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए ।

16 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि रखना :-

पंचायत की रोकड़ वही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 1-4-2013 से 19-8-2014 तक ₹27738 को हस्तगत रखा गया जो कि पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 भुगतान ₹12.86 लाख का अभिलेख प्रस्तुत न करना:-

ग्राम पंचायत के द्वारा चयनित मासों में अनुदान एवं मनरेगा से किये गये भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नानुसार रोकड़ वही में दर्ज किए गए मुबलिग ₹1285580 के भुगतान वाउचर अभिलेख में उपलब्ध न होने के कारण भुगतान को उचित/वैध नहीं ठहराया जा सकता है। अत: अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जाए तथा यह मामला विशेष रूप से खण्ड विकास के उच्चाधिकारियो के ध्यान में लाया जाता है।

IWMP

बा.सं.	मास	विवरण	राशि
1	6/2015	मस्ट्रोल	39564
2	6/2015	मस्ट्रोल	32700
3	6/2015	मस्ट्रोल	45216
4	6/2015	मस्ट्रोल	53064
5	6/2015	मस्ट्रोल	14100
		पानी टैंक	19800
6	6/2015	मस्ट्रोल	76584
7	6/2015	मस्ट्रोल	60720
8	6/2015	मस्ट्रोल	71520

9	6/2015	सीमेंट लोडिंग/उन्लोडिंग	2474
10	6/2015	रेता	5400
		लोडिंग/उन्लोडिंग	600
General cash Book			
37	12/2013	1किश्त गुरनाम सपुत्र श्री राम चंद	37500
74	3/2015	स्टेशनरी	2000
15	6/2015	मेटेरिअल पेमेन्ट	21600
17	6/2015	शोचालय निर्माण हेतु भुगतान TSC	129000
18	6/2015	मेटेरिअल पेमेन्ट	35000
MMAGY			
15	6/2014	सोलर लाइट पेमेन्ट	90000
MNREGA			
37	3/2015	लेबर पेमेन्ट	23100
38	3/2015	मिस्त्री पेमेन्ट	4065
39	3/2015	लेबर पेमेन्ट	41426
40	3/2015	लेबर पेमेन्ट	4065
41	3/2015	लेबर पेमेन्ट	73004
42	3/2015	लेबर पेमेन्ट	43582
43	3/2015	लेबर पेमेन्ट	4065
55	3/2015	साइन बोर्ड	2000
56	3/2015	औजार पेमेन्ट	5000
61	3/2015	मिस्त्री पेमेन्ट	3523
62	3/2015	लेबर पेमेन्ट	40194
63	3/2015	लेबर पेमेन्ट	62216
64	3/2015	लेबर पेमेन्ट	20020
65	3/2015	लेबर पेमेन्ट	32186
66	3/2015	मिस्त्री पेमेन्ट	7046
67	3/2015	लेबर पेमेन्ट	36806
68	3/2015	लेबर पेमेन्ट	24332
69	3/2015	लेबर पेमेन्ट	50820
70	3/2015	लेबर पेमेन्ट	17248
71	3/2015	लेबर पेमेन्ट	42658
72	3/2015	मिस्त्री पेमेन्ट	3794
73	3/2015	मिस्त्री पेमेन्ट	3794
74	3/2015	मिस्त्री पेमेन्ट	3794

योग **1285580**

18 **कार्य स्थल पर एकत्रित की गयी ₹4.25 लाख की मदों को निर्माण कार्य में प्रयोग न करना**

ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित करवाए गए निर्माण कार्य की मापन पुस्तिकाओं की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (2)** पर लगाये गये विवरण के अनुसार कार्य स्थल पर रूपये की मद "COLLECTION OF MATERIAL " दर्शाई गईं है , MATERIAL का विवरण नहीं दिया गया है तथा इस मद के लिए ₹300, ₹320 प्रति घन मीटर की दर से भुगतान किया गया जो कि HPSR 2009 के अनुसार क्रमशः AGGREGATE तथा SAND की दरें हैं। परन्तु अनुदान तथा मनरेगा निर्माण कार्य के WORK REGISTER की जाँच करने पर पाया गया कि AGGREGATE तथा SAND की जो वास्तविक मात्रा प्रयोग होनी थी उसे क्रय किया गया है तथा जो मदें लेबर द्वारा स्थल पर एकत्रित की गई उन्हें प्रयोग में नहीं लाया गया। जबकि एकत्रित की गयी मदों के प्रयोग होने के पश्चात ही बाकी मात्रा को क्रय किया जाना अपेक्षित था। उपरोक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा ₹425444 का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है जिसकी विकास खण्ड स्तर पर उचित विभागीय जाँच कर वसूली सुनिश्चित की जाये।

19 **मूल्यांकन के बिना ₹1.61 लाख का भुगतान:-**

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17/2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता को मूल्यांकन के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा परन्तु जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट (3)** पर लगाये गये विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹160877 का भुगतान मूल्यांकन के बिना किया गया। अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए मूल्यांकन के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए ।

20 **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना:-**

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारिओं के ध्यान में लाया जाता है।

21 **पंचायत निर्माण कार्यों के लिए क्रय की गयी मदों को स्टॉक रजिस्टर में न दर्ज करना;-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (A)(vi) में पंचायत निर्माण कार्यों के लिए स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट (4)** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹915647 के स्टॉक/स्टोर का क्रय पंचायत के निर्माण कार्यों के लिए किया गया, जिसे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। जाँच में यह भी पाया गया कि पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी मदों का क्रय बिना निविदाएँ लिए किया गया है। अत; बिना निविदाओं के निर्माण सामग्री का क्रय

करने तथा सामग्री को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने व उपयोग लेखा तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये। इस अनियमितता के निपटारे हेतु अभिलेख पूर्ण कर आगामी लेखा परीक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

22 मदों को निर्धारित इकाई में क्रय न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या :पी सी एच–एच (5) सी (15) 313/89 दिनांक 16-7-2016 के अनुसार "ग्राम पंचायत रेत, बजरी, पथर, सीमेंट लकड़ी आदि के क्रय के सन्दर्भ में निर्धारित ईकाई को ध्यान में रखकर क्रय करें जैसे रेत, बजरी निर्धारित क्यूबिक फुट के अनुसार" परन्तु ग्राम पंचायत ने इन मदों का क्रय फेरे के रूप में किया गया न कि निर्धारित ईकाई के अनुसार जिसके उदाहरण **परिशिष्ट (4)** पर दिए गये है जो कि दिशा निर्देशों की अवहेलना होने के अतिरिक्त किसी कार्य में प्रयोग की गयी इन मदों की मात्रा को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अत: इस बारे में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

23 मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना:-

ग्राम पंचायत द्वारा लाखोँ रुपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्ट्रोल पर भुगतान किया गया परन्तु हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार इन कार्यों के मस्ट्रोल को न सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया। अत: उक्त के अभाव में भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

24 निविदाओं के बिना क्रय करना

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय की गयी निर्माण सामग्री यथा रेत, बजरी, पत्थर, बजरा इत्यादि का क्रय बिना निविदाओं के किया गया है जिसके अभाव में दरों के न्यूनतम होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: बिना निविदाओं के क्रय करने का औचित्य नियमानुसार स्पष्ट किया जाए।

25 विविध:-

ग्राम पंचायत के लेखाओं में निम्नानुसार अनियमितताऐ पाई गयी हैं जिनका निराकरण करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(i) मास 3/2015 के दौरान मनरेगा के मस्ट्रोल प्रधान द्वारा सत्यापित/हस्ताक्षरित नहीं किये गये हैं।

(ii) मनरेगा रोकड़ वही प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं की गयी है।

(iii) अनुदानों से मस्ट्रोल के भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि मस्ट्रोल को मस्ट्रोल जारी रजिस्टर में दर्ज किये बिना ही जारी किया गया और न ही निर्माण कार्य करवाने के लिए कोई प्रस्ताव डाला गया क्योंकि अनुदानों से भुगतान किये गए किसी भी मस्ट्रोल पर प्रस्ताव संख्या अंकित नहीं थी।

(iv)अनुदानों से मस्ट्रोल के भुगतान की जाँच करने पर पाया गया कि मस्ट्रोल पर लगाये गये अधिकतर मजदूर प्रवासी हैं तथा उनके पते नहीं दर्शाए गये हैं।

(v) पंचायत सदस्यों को भुगतान किये गये मानदेय का रजिस्टर नहीं लगाया गया जिसके अभाव में दोहरे भुगतान की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

(vi) भण्डार रजिस्टर नहीं लगाए गये थे।

(vii) दिनांक 30-9-2014 को बैंक द्वारा ₹45000 क्रेडिट की गयी जिसे रोकड़ वही में दर्ज नहीं किया गया जिसके अभाव में राशि के स्त्रोत ज्ञात न हो सका।

(viii) निम्नानुसार रोकड़ वही में राशि दर्ज की गयी परन्तु राशि का स्त्रोत दर्शाया नहीं गया है।

दिनांक	राशि
7-11-2014	95585
12-10-2015	2700
13-10-2015	3000
14-10-2015	3000
14-10-2015	2700

26 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

27 लघु आपति विवरणिका:-इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

28 निष्कर्ष :- यद्यपि अंकेक्षण दल द्वारा अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के चयनित मासों का ही अंकेक्षण किया गया तथा उनमें भी गम्भीर आपतियां पाई गयी हैं जिनका विवरण पैरों में दिया गया है। 4/2013 से पूर्व की अवधि का अंकेक्षण किसी भी एजेंसी द्वारा नहीं किया गया है। अतः सुझाव है कि ग्राम पंचायत के लेखाओं की विस्तारपूर्वक जाँच कि जाये।

हस्ता/–

(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(V)26/2017–खण्ड–1–3108–3111 दिनाँक 03.06.2017 शिमला–9,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत संघनेई, विकास खण्ड गगरेट, तहसील घनारी, जिला ऊना, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव व सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट, तहसील घनारी, जिला ऊना हि0प्र0

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881